पटना शहर में कार्यालय बिल्डिंग निर्माण हेतु प्लाट (स्पष्ट हक विलेख)
की खरीद हेतु " खुली बिक्री " के लिए प्रस्ताव आमंत्रण -सूचना

नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के भवन निर्माण के लिए एक खुले भूखण्ड की एकमुश्त (आउत राइट)खरीद के लिए बिहार सरकार / कम्पनियों / रक्षा प्रतिष्ठानों / सरकारी और अर्धसरकारी संगठनों / व्यक्तियों इत्यादि से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं । प्रस्ताव दिए जाने की तिथि से तीन महीने के अन्दर संबंधित भूखण्ड निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए तैयार होना चाहिए । बिक्री के लिए भूखण्ड पूरी तरह स्वामित्व के मामले में विवादरहित और हक बेचने योग्य होना चाहिए । प्रस्ताव देने वाले / मालिकों को नगर भूखण्ड (हकबन्दी और नियमावली) अधिनियम, 1976 तथा स्थानीय प्राधिकारों के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत आवश्यक स्वत्वाधिकार प्रमाणपत्र देना होगा । विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

1. वांछित भूखण्ड का रकबा/ क्षेत्र - करीब 4000 - 5000 वर्गमीटर

2. अवस्थिति - अच्छे व्यावसायिक क्षेत्र में भूखण्ड होना चाहिए और पहुँच पथ चौड़ा विवादरहित हो । सचिवालय परिधि के 4-5 किलोमीटर के भीतर उपल्ब्ध / अवस्थित भूखण्ड को प्राथमिकता होगी।

3. (क) सम्पत्ति का विवरण - समर्थित दस्तावेजों, नक्शा, चित्र, नक्शा स्थल, विशेष महत्व और विशेष शर्त्त, यदि कोई हो, संलग्न किया जाय । इन कागजातों को एक अलग लिफाफा के ऊपर संख्या - 1 देकर `सम्पत्ति विवरण - तकनीकी बोली` लिखा जाय ।

   (ख) भूखण्ड का प्रति वर्गमीटर बोली कीमत तथा कुल लागत का विस्तृत व्योरा लिफाफा संख्या - 2 में देकर मुहरबन्द किया जाय तथा उसके ऊपर में `सम्पत्ति का बोली कीमत` लिखा जाय ।

4. पूरी तरह भरे गए प्रस्ताव के साथ-साथ तकनीकी बोली को लिफाफा संख्या - 1 तथा कीमत बोली का लिफाफा संख्या - 2 को एक अलग बड़े लिफाफे के अन्दर भरा जाय तथा उसके ऊपर ``कार्यालय भवन, पटना`` के भूखण्ड के बिक्री का प्रस्ताव लिखकर श्री वी.मोहनदास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, मौर्य लोक काम्पलेक्स, चौथा एवं पाँचवाँ तल, डाक बंगला रोड, पटना - 800 001. को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक **30 दिसंबर 2010** या उसके पहले 14.30 बजे तक पहुँच जाय । प्रस्ताव को उसी दिन 15.00 बजे खोला जायेगा । यदि चाहें तो प्रस्ताव खोलते समय

प्रस्तावक अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधिगण उपर्युक्त कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं । बोली कीमत के खुलने की तिथि से छह माह की अवधि तक दिए गए प्रस्ताव वैध होगा ।

5. बैंक को यह अधिकार है कि बिना कोई कारण बताये सभी या कोई प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है ।

6. केवल सम्पत्ति मालिक के निर्बन्ध अधिकार प्राप्त प्रस्ताव को ही स्वीकार किया जायेगा । इसमें कोई दलाली नहीं दी जायेगी ।